संख्या – ४४९/V–2013–55(आ0)/2006–टी0सी0

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 12 जून, 2015

विषय: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011(संशोधन, 2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–2009/V–2011–55(आ0)/2006–टीसी दिनांक 17–11–2011 द्वारा दिशा निर्देश दिये गये।

2. राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 पर विचार–विमर्श कर इसमें संशोधन हेतु सुझाव दिये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–334/V–2–2014–55(आ0)/2006 टी0सी0, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया।

3. इस संबंध में शासन के समक्ष प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011(संशोधन, 2015) के अनुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति प्रदान की जाती है।

4. अतः कृपया संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को यथाआवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने का कष्ट करें तथा यदि स्थानीय परिशिष्ठ एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कार अपेक्षित हो तो कृपया बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त ।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव ।